uU;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kij ,o inu Hk&vfHky[k fun'kd
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dkBkjh] vkb-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 176/2018

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

1- नखताराम पुत्र अजीताराम जाति मेघवाल निवासी भैसडा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर

तहसीलदार भणियाणा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 4.9.2018 जो उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा, ने राजस्व प्रकरण संख्या 03/2017 अनवान नखताराम बनाम राज्य वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः——

1. श्री एल0 डी0 खत्री, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

fu.k;

fnukd% 27 uoEcj] 2019

1. अपीलान्ट के द्वारा यह प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के राजस्व प्रकरण संख्या 03/2017 अनवान नखताराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह में अपीलान्ट का धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत तरमीम शुद्धि करने हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र को खारिज करने बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को ग्राम बालासर पटवार हल्का भैसडा के ख0सं0 54/448 रकबा 75 बीघा भूमि का आवंटन सरकार की ओर से किया गया था और उसी अनुसार अपीलान्ट के द्वारा कब्जा लिया जाकर आज

दिन तक वह काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरान भूमि के पूर्व में ख0सं0 54/374 एवं पश्चिम में खसरा संख्या 54/447 आया हुआ है तथा उत्तर में कटाण रास्ता एवं दक्षिण में मूल खसरा संख्या 54 की शेष भूमि आई हुई है।

3. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त खसरान भूमि का कब्जा लिये जाने के उपरान्त खसरान भूमि के पूर्वी भाग पर झोपा बनाकर परिवार सहित निवास करने लगे एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ एवं सहायता प्राप्त करते हुए निर्माण इत्यादि कार्य करवाये। तथा वर्तताान में अपने पुत्रों के साथ रह रहा है और इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो रखी थी लेकिन हाल में उनके कब्जाशुद्धा भूमि के सम्बन्ध में झूठी शिकायत पेश की गई जिसके आधार पर अपीलार्थी को उसके बनाये हुए मकान को उसकी खसरान भूमि से बाहर दिखाते हुए गलत तौर पर तरमीम कर नक्शे में फेरबदल कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने नियमानुसार एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के समक्ष पेश करते हुए उक्त तरमीम को सही करने का निवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को बिना ठोस आधारों के खारिज कर दिया।

4. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के कब्जे बाबत की गई झूठी शिकायत की विश्वसीय जॉच करवाये बिना ही शिकायत को सही मानते हुए उक्त प्रकार की तरमीम फेरबदल को सही मान लिया जो अपीलार्थी के अधिकारों का हनन करने वाला था। अपीलार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया था। उक्त खसरान भूमि की तरमीम उनके निर्माण कार्यो से नपाईश करके की जानी थी जबकि तहसीलदार ने अपीलार्थी के विरूद्ध द्वेषभावना रखते हुए गलत जगह तरमीम करवाई है। तहसीलदार को यह करना चाहिये था कि खसरा संख्या 54/448 से चिपकी पश्चिमी भूमि ख0सं0 54/447 में बने धोरे व पूर्वी किनारे पर मकान बने हुए है। अब यदि कोई अधिक भूमि हो रही है तो भूमि के दक्षिण हिस्से में से भूमि घटाकर तरमीम करने से कोई पक्ष प्रभावित नहीं होगा और अपीलार्थी के साथ न्याय भी हो जायेगा।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त आधारों पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था परन्तु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगती के कारण उनके विरूद्ध प्रस्तुत हुई झूठी शिकायत के आधार पर पूर्व में की गई वादग्रस्त खसरान भूमि की तरमीम को बदल दिया गया और अपीलान्ट को अपने ही कब्जे वाली भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त प्रकार की तरमीम दुरूस्ती किया जाना आवश्यक होने से अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जावे एवं वादग्रस्त खसरान भूमि की सही तरमीम करके एवं अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ख0सं0 54/448 के निर्मित मकान व टांके को शामील रखा जाकर 75 बीघा भूमि को नापे जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी को ग्राम बालासर के ख0सं0 54 में 75 बीघा भूमि सरकार की ओर से आंवटित हुई थी। आवंटन के पश्चात नखताराम को मौके पर कब्जा दिया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। वक्त आवंटन दिये गये कब्जे के अनुसार वर्तमान में आवंटी नखताराम का कब्जा व काश्त है। वर्तमान में कब्जे एवं काश्त के अनुसार लटठा ट्रेस में अंकित है। वक्त आवंटन आंवटी को कब्जा देकर राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम की गई थी तथा आज भी वह पर अंकित है। ऐसे में अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने एवं पूर्व में की गई तरमीम सही होने के कारण अस्वीकार किया गया है जो उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावें।

7. हमने दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्टस के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक कब्जे अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत राजस्व लटठा ट्रेस दुरूस्ती का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि ''अपीलार्थी नखताराम को ग्राम बालासर में उक्त खसरान संख्या54/448 रकबा 75 बीघा भूमि का आवंटन हुआ और

कब्जा सुपुर्दगी अनुसार लटठा ट्रेसमें तरमीम की और उसी स्थान पर तहसीलदार भणियाणा की रिपोर्ट अनुसार आज भी वह काबिज काश्त है तथा उसके पूर्व की तरफ ख0सं0 45/374 जो सरकारी भूमि है, पर अपीलार्थी व उसके पुत्रों ने पक्के मकानों का निर्माण राज्य सरकार की योजनाओं के तहत करवा लिया जिसकी शिकायत होने पर उक्त मकान निर्माण के सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण उनसे बचने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो 50 साल पश्चात पेश किया गया, वो मानने योग्य नहीं है और इन आधारों पर तरमीम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।''

8. इस सम्बन्ध में हमारी विनम्र राय है कि अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम तरमीम शुद्धि किये जाने को अस्वीकार किया गया है, वो उचित प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये उक्त खसरान भूमि के नक्शों की प्रमाणित प्रतियों एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/ नक्शे की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी को आंवटित हुई भूमि के अनुसार ही राजस्व लटठा ट्रेस में तत्समय तरमीम की जा चुकी है। अपीलान्ट यह भी साबित नहीं कर पाये है कि उनका जिस खसरान भूमि पर निर्माण इत्यादि किया हुआ है वह उनके मालिकाना हक की है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाना उचित होगा।

vkn'k

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, भणियाण के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.9.2018 बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj